Regd. No. CHD/0093/2009--2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 4, 2011
(PHALGUNA 13, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2011

No. 6—HLA of 2011/12.—The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 6—HLA of 2011

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011. Short title.

2. In the proviso to sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), for the words "two years and six months", the words "three years" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008. Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994.

3. In sub-section (5) of section 11 of the principal Act, for the words "office of Mayor", the words "offices of Mayor" shall be substituted. Amendment of section 11 of Haryana Act 16 of 1994.

Repeal and saving.

4. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 2 of 2011), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Election of the Municipal Corporation, Gurgaon could not be held during the period envisaged under the Haryana Municipal Corporation Act which expired on 1st December, 2010. Delimitation of wards has been completed and State Election Commission has been requested to conduct Elections, which is likely to take a few months. To avoid further legal complications in the matter, it is necessary that the amendment in section 4 (4) is necssary for conducting the Election of the Corporation to empower the State to conduct election within a period of three years.

Similarly amendment in Sub-section (5) of the Section 11 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 is also required for providing reservation to Scheduled Castes, Backward Classes and Women for the post of **"Office of the Mayor"** in the various Municipal Corporations in the State.

Hence the Bill.

GOPAL KANDA,
Minister of State for Urban Local Bodies,
Haryana.

Chandigarh :
The 4th March, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 6 – एच० एल० ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

**हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिये
विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (4) के परन्तुक में, "दो वर्ष तथा छह मास" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किये गये समझे जाएंगे ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में, "महापौर का पद" शब्दों के स्थान पर, "महापौर के पद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994 में किए गए प्रावधान के दृष्टिगत नगर निगम, गुड़गावां में चुनाव कार्य 1-12-2010 तक पूरा नहीं किया जा सका। परिसीमन का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने बारे अनुरोध किया गया है, जो कुछ मास में होने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में मामले में कानूनी बाधाओं से निपटने के लिए उक्त नियम की धारा 4(4) में संशोधन करते हुए इस अवधि को तीन वर्ष किए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार राज्य में विभिन्न नगर निगमों में **"महापौर के कार्यालय"** के पद के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व महिलाओं हेतू आरक्षण के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (5) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अत: विधेयक।

गोपाल काण्डा,
शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
4 मार्च, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

48371—H.V.S.—H.G.P., Chd.